

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रूपलाल

बनाम

नेत्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 238/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>23⁵/₂₀₂₂</p> <p>तद. निताड से ख.न. 1946 22.06.22 दे पालना रिपॉर्ट शाहीन रिपॉर्ट दिना 21/11</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रूपलाल - कानमल</u> (पिता) <u>चतरा डांगी</u> <u>नगलाल</u> सो <u>नगलाल</u> डांगी, <u>मगनीबाई</u> पत्नी <u>नगलाल</u> डांगी <u>श्री मगनीबाई</u> पुत्री <u>नगलाल</u> डांगी</p> <p>निवासी- <u>गिमुड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिमुड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>457, 458, 451</u> <u>461, 455, 459</u> <u>0.50 0.12 0.16</u> <u>0.51 0.52 0.13</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>1.9400</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>457, 458, 451, 461, 455, 459</u> <u>0.51 0.52 0.13 0.50 0.12 0.16</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> रकबा <u>1.9400</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ (<u>श्याम सुन्दर विनोई</u>) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>